

क्रमांक :जिपज/माडा/शिक्षा/आर्थिक/प्रोत्साहन/2017-18/1834
विज्ञप्ति

दिनांक :- 2/8/2017

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जयपुर जिले के माडा एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र में संचालित बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन राशि वितरण, जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (निजी एवं राजकीय महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए) एवं जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत जयपुर जिले के शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में नियमित रूप से अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र/छात्राओं को प्रतिभावान एवं उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि वितरण करने हेतु विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य/प्राचार्य को निर्देश दिये जाते हैं कि वे पात्र छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2017 तक प्राप्त कर आवेदन पत्रों की जाँच उपरान्त दिनांक 30.08.2017 तक कार्यालय में प्रस्तुत करें। सीधे एवं अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

क्र.स.	कार्यक्रम का नाम	पात्रता का विवरण	आवश्यक दस्तावेज
1	बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन राशि वितरण	अनुसूचित जनजाति के ऐसे प्रतिभावान छात्र जिन्होंने राजस्थान से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 अथवा 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है तथा विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर आगे नियमित अध्ययनरत हैं उन्हें राशि रु 350/- प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 10 माह तक कुल राशि 3500/- रुपये एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।	1. राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जनजाति होने के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति 2. मूल आय घोषणा पत्र/ आयकर दाता नहीं होने का प्रमाण
2	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (निजी एवं राजकीय महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए)	इस योजना में उन जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने महाविद्यालय में पिछली परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो। योजनानुसार प्रत्येक नियमित अध्ययनरत छात्रा को राशि रु 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (5000/- रु एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	3. गत उत्तीर्ण कक्षा की मूल अंकतालिका की प्रमाणित प्रति 4. आगामी कक्षा में नियमित अध्ययनरत रहने का प्रमाण
3	जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हों। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रु 350/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (3500/- रु एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।	5. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति 6. बैंक खाते के पासबुक की फोटो प्रति

आवेदन पत्र मय विवरण www.jaipur.rajasthan.gov.in वेब साइट पर लपलब्ध है।


नोट:-

- समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही उतर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय उक्त योजनाओं का लाभ साथ-साथ लिया जा सकता है।
- आवेदन पत्र सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगे।
- आवेदन पत्र पूर्ण एवं सूस्पष्ट भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने, आवेदन पत्रों में पात्रता एवं दस्तावेज कमी होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगा, जिसके लिए पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
- पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं द्वारा दिनांक 18.08.2017 तक सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर जमा करवाये जावेंगे तथा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों मय दस्तावेजों की जाँच कर योग्य एवं सही आवेदन पत्रों मय सूची दिनांक 30.08.2017 तक कार्यालय में प्रस्तुत किये जावेंगे। दिनांक 30.08.2017 पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

-54-
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, जयपुर
दिनांक :-

क्रमांक :जिपज/माडा/शिक्षा/आर्थिक/प्रोत्साहन/2017-18/
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला जयपुर।
- प्रधानाचार्य/प्राचार्य सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थान, जिला जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, जयपुर

